न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मुंगेर।

भरण–पोषण (क्रिमनल) वाद सं0 64/2024

पूजा कुमारी उम्र–30 वर्ष, पति–अभिषेक कुमार, साकिन–घोषी टोला, थाना–कासिम बाजार, जिला–मुंगेर, वर्तमान पता–पिता–रामानंद यादव, साकिन–बेलन बाजार, श्री कृष्णा रोड, थाना–कासिम बाजार, जिला–मुंगेर..आवेदिका।

बनाम

अभिषेक कुमार उम्र–34 वर्ष, पिता–राजेन्द्र यादव, साकिन–मोहल्ला घोषी टोला, थाना–कासिम बाजार, जिला–मुंगेर...विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता

आवेदिका की ओर से – श्री शशि सिंह अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से– श्री अरूण कुमार सिंह अधिवक्ता।

उपस्थित– अरविन्द कुमार शर्मा,
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मुंगेर।

दिनांकः– 14.05.2026

आदेश

1. उपरोक्त भरण–पोषण वाद आवेदिका पूजा कुमारी के द्वारा धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षी अभिषेक कुमार के विरूद्ध लाया गया है।

2. आवेदिका का वाद संक्षेप में यह है कि उसका विवाह विपक्षी के साथ दिनांक 20.11.2011 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दोनों पक्षों के सगे संबंधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। शादी में आवेदिका के माता पिता ने सात लाख रूपया नगद एवं अन्य कीमती सामान वगैरह उपहार स्वरूप विपक्षी एवं उसके परिवार को दिया था। शादी के बाद आवेदिका विदा होकर अपने पति विपक्षी के साथ अपने ससुराल गई और अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत की इस दौरान आवेदिका ने एक पुत्री काव्या को दिनांक 17.08.2016 को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद से ही विपक्षी एवं उसके परिवार का व्यवहार पूरी तरह से आवेदिका के विरूद्ध बदल गया और सभी मिलकर आवेदिका के साथ क्रूरतापूर्ण व अभद्र व्यवहार करने लगे। इतना ही नहीं विपक्षी और उसके परिवार के सदस्यों ने आवेदिका से दहेज की मांग करना भी शुरू कर दिया, जब आवेदिका ने इसका विरोध किया तो उसके ससुराल वालों ने आवेदिका का गर्भपात करा दिया, जिसके फलस्वरूप आवेदिका ने महिला

थाना कांड संख्या 27/2024 विपक्षी एवं उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज कराया। विपक्षी द्वारा आवेदिका के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने से इंकार कर दिया गया है और विपक्षी ने आवेदिका तथा उसकी बच्ची का भरण पोषण करने से भी इंकार कर दिया है। विपक्षी ने आवेदिका को उसके ससुराल घर से दिनांक 27.02.2024 को बाहर निकाल दिया तब से आवेदिका अपने मायके में रह रही है। आवेदिका एक गृहिणी है उसके पास आय का कोई श्रोत नहीं है जिससे वह अपना एवं अपनी बच्ची का भरण पोषण कर सके। विपक्षी सेना में तैनात है जो जोधपुर में कार्यरत है और विपक्षी को मासिक वेतन लगभग 80,000/– रूपया प्रतिमाह प्राप्त होता है, इसके साथ ही विपक्षी को दो किराये के मकान से 30,000/– रूपया प्रतिमाह भी मिलता है। अतः आवेदिका तथा उसकी बच्ची को 40,000/–रूपया प्रतिमाह विपक्षी से भरण पोषण के रूप में दिलाए जाने का निवेदन किए हैं।

3. विपक्षी की ओर से प्रस्तुत वाद का लिखित प्रति उत्तर दाखिल कर कहा गया है कि आवेदिका द्वारा दाखिल वाद तथ्य व विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। आवेदिका अपना भरण पोषण करने में सक्षम है और विवाह के बाद से ही विपक्षी अपनी पत्नी आवेदिका का भरण पोषण करता आ रहा है जबकि आवेदिका बिना किसी कारण के स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही है। यह बात सही है कि विपक्षी की शादी आवेदिका के साथ संपन्न हुई है। आवेदिका का मायका विपक्षी के घर के पास ही स्थित है और आवेदिका के पिता स्थानीय राजनीति से जुड़े है इसलिए बातचीत के दौरान आवेदिका के पिता विपक्षी पर सामाजिक दबाव बनाए और अंततः विवाह संपन्न हो गया। विपक्षी की ओर से कोई दहेज का मांग नहीं किया गया है और यह विवाह बिना दहेज के संपन्न हुआ था। शादी के बाद विपक्षी कई जगह पर आवेदिका के साथ रहा इस दौरान दोनों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ और उनका दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हुआ। आवेदिका ने जो महिला थाना कांड संख्या 27/2024 दायर किया है वह पूरी तरह से झूठा व निराधार है, इसके साथ ही आवेदिका ने जो उस पर आरोप लगाया है कि आवेदिका के साथ मारपीट कर उसका गर्भपात करा दिया गया, यह पूरी तरह से झूठा है। विपक्षी द्वारा आवेदिका को हमेशा पूरे सम्मान के साथ रखा गया है और आवेदिका को समय समय पर भरण पोषण के लिए रूपया भी हस्तांतरित किया गया है। विपक्षी जून 2024 में आवेदिका को अपने साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल से संपर्क किया परन्तु आवेदिका उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। आवेदिका 11.02.2024 से अपने मायके में रह रही है जहां पर आवेदिका की बहन की शादी जो दिनांक 05.03.2024 को होने वाली थी उसमें व्यवस्थाओं में लगी हुई थी, इसलिए आवेदिका को उसके ससुराल से बेदखल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। विपक्षी को जो वेतन प्राप्त होता है उसमें से ज्यादातर राशि कट जाता है और विपक्षी द्वारा अपनी पुत्री के लिए भी राशि जमा किया जाता है अंततः विपक्षी के पास लगभग 43,000/– रूपया ही बच जाता है। विपक्षी अपने माता पिता

का इकलौता पुत्र है और उसके माता पिता की सभी जिम्मेवारी उसी पर है क्योंकि उसके पिता को आय का कोई श्रोत नहीं है। विपक्षी द्वारा बैंक से आठ लाख रूपया का लोन भी लिया गया है जिसमें विपक्षी का सोलह हजार रूपया प्रतिमाह किस्त जमा होता है। आवेदिका कभी भी अपने ससुराल वालों का आदर व सम्मान नहीं करती है, आवेदिका एक पढ़ी लिखी महिला है और अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। आवेदिका मीडिल स्कूल चुआबाग में कम्पयूटर प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत है, इसके साथ ही आवेदिका ट्युशन से 25,000/– से 30,000/– रूपया प्रतिमाह आमदनी होता है। इस तरह से आवेदिका के प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने का निवेदन किए हैं।

4. आवेदिका अपने कथन को साबित करने के लिये 01 मौखिक साक्षी, जिसमें आवेदिका साक्षी संख्या 1 स्वयं पूजा कुमारी को प्रस्तुत की है। आवेदिका द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया जिसे प्रदर्श/मार्क अंकित किया गया है।

प्रदर्श–1–दिनांक 24.01.2025 के बैंक का विवरण।

प्रदर्श–2–वेतन पर्ची।

प्रदर्श–3–स्कूल के फीस की छायाप्रति।

मार्क–x से x/4–स्कूल के किताब, जूता एवं नोट बुक (तीन प्रति) का रसीद।

मार्क–y से y/1–दो फोटोग्रा।

मार्क–z और z/1–मुंगेर नगर निगम का दो रसीद।

5. विपक्षी द्वारा भी अपने कथन के समर्थन में 02 मौखिक साक्षियों जिसमें विपक्षी साक्षी संख्या 01 राजेन्द्र प्रसाद यादव एवं विपक्षी साक्षी संख्या 2 स्वयं अभिषेक कुमार को प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी द्वारा भी अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिसे प्रदर्श/मार्क अंकित किया गया है।

प्रदर्श–4 से 4/4–शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

प्रदर्श–5–आर.टी.आई. का वास्तविक जवाब।

प्रदर्श–6–माह 11/2024 के वेतन पर्ची की छायाप्रति।

प्रदर्श–7–एक फोटोग्राफ।

प्रदर्श–8–माह 10/2024 के वेतन पर्ची की छायाप्रति।

मार्क–P–रेलवे की टिकट की छायाप्रति।

मार्क–Q से Q/34–मोबाईल के द्वारा भुगतान किए गए की छायाप्रति।

6. इस वाद में मुख्य विवाद्यक बिन्दु यह है कि क्या आवेदिका विपक्षी की विवाहिता पत्नी है और युक्ति युक्त कारणों से अलग रह रही है तथा आवेदिका अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है और विपक्षी, आवेदिका का भरण–पोषण करने में सक्षम होते हुए आवेदिका का भरण–पोषण करने में उपेक्षा कर रहा है और क्या आवेदिका विपक्षी से

भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार है यदि है तो कितने राशि का?

7. आवेदिका अपने वाद को साबित करने के लिये एक मौखिक साक्षी स्वयं को आवेदिका साक्षी संख्या 1 पूजा कुमारी के रूप में प्रस्तुत की है। यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि उसकी शादी विपक्षी के साथ दिनांक 20.11.2011 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था, शादी में उसके पिता ने सात लाख रूपया नगद एवं अन्य कीमती सामान वगैरह दिया था। आगे इस साक्षी का कथन है कि शादी के बाद वह अपने पति के साथ रहकर मिलीट्री अस्पताल, यू.पी. में एक पुत्री को दिनांक 17.08.2016 को जन्म दी। पुत्री के जन्म के उपरांत विपक्षी और उसके परिवार वालों का व्यवहार बदल गया, वे लोग उसके साथ क्रूर व्यवहार कर प्रताड़ित करने लगे और यह भी कहने लगे कि तुम्हारा बाप लडके के मुताबिक कुछ भी नहीं दिया है। इसके उपरांत उसके पिता ने प्रताड़ना को देखते हुए चार लाख रूपया दिया जो विपक्षी और उसके खाता में गया। वह जब दुबारा गर्भवती हुई तो उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका गर्भपात करा दिया जिसके संबंध में उसने महिला थाना कांड संख्या 27/2024 दर्ज कराया जो अभी श्रीमान् एस.डी.जे.एम. के न्यायालय में लंबित है। आगे इस साक्षी का कथन है कि विपक्षी ने साफ तौर पर उसे घर आने से व रहने से मना कर दिया है और इस बात से इंकार कर दिया कि बच्चे की पढ़ाई से उसे कोई मतलब नहीं है। दिनांक 27.02.2024 को उसे जबरदस्ती ससुराल से निकाल दिया गया तब से वह अपने मां बाप के साथ रह रही है। उसके पास आय का कोई श्रोत नहीं है जिससे वह अपना एवं अपनी बच्ची का भरण पोषण कर सके। विपक्षी जोधपुर में कार्यरत है तथा विपक्षी को मासिक वेतन लगभग 95,539/– रूपया प्रतिमाह प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त विपक्षी को किराया से 30,000/– रूपया प्रतिमाह आमदनी होता है। अतः आवेदिका को 40,000/–रूपया प्रतिमाह विपक्षी से भरण पोषण के रूप में दिलाए जाने का निवेदन किए हैं।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के क्रम में कहा है कि वह फरवरी 2024 तक अपने ससुराल में रही, उस वक्त उसका पति ड्युटी में था। पति के साथ वह कार्यस्थल पर लगभग सवा दो साल रही, इस बीच वह ससुराल आती जाती थी। वह बी.ए. तक पढ़ी है, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी की है। उसके पिताजी का उसके ससुर से शादी से पूर्व जान पहचान था। उसे नहीं पता है कि उसके पति ने कई तिथियों पर उसे पैसा भेजा है। विपक्षी ने उसके पिता से चार लाख रूपया लिया था जिसमें से एक लाख रूपया उसकी बहन के शादी में दिया था और पचास–पचास हजार रूपया बाद में दिया था। उसका पति उसे विदा कराकर ले जाएगा तब वह उनके साथ जाएगी और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। वह मीडिल स्कूल चुआबाग में एन.जी.ओ. के माध्यम से गई थी पुनः कहीं वहां वह कोई काम नहीं करती है।

8. विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दो मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत किया

है, सर्वप्रथम विपक्षी साक्षी संख्या 02 अभिषेक कुमार के साक्ष्य की विवेचना करता हूं। यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि आवेदिका उसकी पत्नी है, एवं उसकी पत्नी उसके साथ उसके कार्यस्थल पर कई बार रही है। वह अपनी पत्नी एवं पुत्री की समुचित देखरेख करता रहा है और उसकी पुत्री स्कूल में पढ़ा करती थी, उसके कार्यस्थल पर सरकार के द्वारा विद्यालय, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी परन्तु आवेदिका जानबूझकर के न तो खुद और न ही पुत्री को सुविधा प्राप्त कराती है और बिना किसी कारण के अपने मायके में पड़ी हुई है। आगे इस साक्षी का कथन है कि वह हर समय अपनी पत्नी और पुत्री की इच्छाओं व जरूरतों की पूर्ति करता रहा है। वह अपनी पत्नी के उच्च शिक्षा हेतु विवाह के पश्चात् स्नातक एवं कम्पयूटर डिप्लोमा में एक वर्षीय कोर्स करवाया है, इसके साथ ही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स कराया है। उसकी पत्नी आवेदिका मध्य विद्यालय चुआबाग, मुंगेर में आ.सी.टी. लैब इन्स्ट्रैक्टर के पद पर दिनांक 10.01.2024 से कार्यरत है और उसे लगभग 30 से 35 हजार रूपया प्रतिमाह आय होता है। उसके द्वारा लाख प्रयास के बावजूद भी उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही है, इस दौरान फोन के माध्यम से वह अपनी पत्नी को सात लाख रूपया दिया है। वह अपनी पत्नी के कहने पर उसकी छोटी बहन चंदा कुमारी के शादी में एक लाख रूपया व अपने ससुर के खाता में दो बार पचास पचास हजार रूपया दिया है। आगे इस साक्षी का कथन है कि उसकी पत्नी अपने पिता के बहकावे में केस की है और वह आज भी अपनी पत्नी व पुत्री को रखने के लिए तैयार है। उसे अपनी नौकरी से महज कटौति कर लगभग 45,000/— रूपया प्रतिमाह प्राप्त होता है और उस पर उसके माता पिता भी आश्रित हैं। आगे इस साक्षी का कथन है कि आवेदिका बिना किसी कारण के उसके साथ नहीं रह रही है और अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, इसलिए आवेदिका भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है।

इस साक्षी ने न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कहा है कि वह आर्मी में सूबेदार के पद पर पदस्थापित है और उसे अभी कितना वेतन मिलता है वह पे स्लीप देखकर बता सकता है। उसकी पत्नी ने उस पर 498ए का केस किया है और वह अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के क्रम में कहा है कि वह अपनी पत्नी का सैलरी स्लीप दाखिल नहीं किया है। शहर में तीन पक्का का मकान उसके पिता के नाम से है और वह मकान का रसीद अपने नाम से नहीं कटाता है। उसके ससुर ने उसे चार लाख रूपया बैंक के माध्यम से लोन दिया था जिसमें से वह एक लाख रूपया अपने ससुर को लौटा दिया था। वह अपनी पत्नी को बिदा कराकर अपने ड्युटी वाले स्थान पर ले जाएगा।

9. विपक्षी साक्षी संख्या 1 राजेन्द्र प्रसाद यादव के साक्ष्य की विवेचना करता हूं। यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि प्रस्तुत वाद के विपक्षी उसका पुत्र और आवेदिका उसकी पुत्र वधु है। विपक्षी का विवाह आवेदिका के साथ आदर्श रूप में संपन्न हुआ

था। विवाह के पश्चात विपक्षी ने आवेदिका को अपने कार्यस्थल पर ले गया जहां विपक्षी आवेदिका का समुचित देखभाल किया करता था और उचित शिक्षा दीक्षा भी करवाया। आगे इस साक्षी का कथन है कि विपक्षी अपने पिता के बहकावे में आकर मुकदमा कर दी है जबकि विपक्षी ने अपनी पुत्री के लिए अच्छी राशि जमा कर रखी है ताकि आवेदिका और उसकी पुत्री का भविष्य सुरक्षित रह सके। उसका पुत्र आज भी अपनी पत्नी एवं पुत्री को साथ रखने के लिए तैयार है लेकिन आवेदिका के पिता की मंशा है कि उसका पुत्र को अपने पास रखकर उसका वेतन का लाभ उठाया जा सके। विपक्षी उनका एकमात्र पुत्र है और उनके बुढ़ापे का सहारा भी है। वह चाहते हैं कि उनका पुत्र अपनी पत्नी आवेदिका व पुत्री को अपने कार्यस्थल पर रखकर वैवाहिक जीवन सुखमय रूप से व्यतीत करे।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के क्रम में कहा है कि उनका पुत्र आर्मी में है और जोधपुर में पोस्टेड है। उनकी पतोहू मायके में अपनी पुत्री के साथ रह रही है। आवेदिका पहले जॉब करती है अभी क्या करती है वह नहीं कह सकते हैं। उनके पास तीन कीता मकान है। उनकी पतोहु आवेदिका उनके घर आना चाहे तो उसे वह अपने घर नहीं आने देगें क्योंकि उससे उनके जान को खतरा है।

10. उभय पक्षों को सुनने, तथ्यों के परिशिलन तथा प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि आवेदिका पत्नी द्वारा विपक्षी पति के विरूद्ध भरण पोषण का वाद लायी है। जिसमें आवेदिका द्वारा अपने वाद पत्र एवं साक्ष्य में कहा गया है कि उसका विवाह विपक्षी के साथ दिनांक 20.11.2011 को हिन्दू रीति रिवाज से हुआ है और विपक्षी द्वारा भी उभय पक्ष के बीच हुए शादी से इंकार नहीं किया गया है इस तरह से उभय पक्ष के बीच विवाह हुआ है, यह एक स्वीकृत तथ्य है। आवेदिका द्वारा अपने वाद पत्र के कथनों में यह कहा गया है कि शादी के बाद पुत्री के जन्म होने के उपरांत विपक्षी एवं उसके परिवार का व्यवहार पूरी तरह से आवेदिका के विरूद्ध बदल गया और सभी मिलकर आवेदिका के साथ क्रूरतापूर्ण व अभद्र व्यवहार करने लगे। विपक्षी और उसके परिवार के सदस्यों ने आवेदिका से दहेज की मांग करना भी शुरू कर दिया, जब आवेदिका ने इसका विरोध किया तो उसके ससुराल वालों ने आवेदिका का गर्भपात करा दिया, जिसके फलस्वरूप आवेदिका ने महिला थाना कांड संख्या 27/2024 विपक्षी एवं उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज कराया। विपक्षी ने आवेदिका तथा उसकी बच्ची का भरण पोषण करने से भी इंकार कर दिया है तथा विपक्षी द्वारा आवेदिका को उसके ससुराल घर से दिनांक 27.02.2024 को बाहर निकाल दिया तब से आवेदिका अपने मायके में रह रही है। आवेदिका अपने कथन के समर्थन में एक मौखिक साक्षी स्वयं को आवेदिका साक्षी संख्या 1 के रूप में प्रस्तुत की है और अपने कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य में की है तथा अपने प्रति परीक्षण के क्रम में कही है कि वह फरवरी 2024 तक अपने ससुराल में रही, अपने पति विपक्षी के साथ वह उसके कार्यस्थल पर लगभग सवा दो साल रही, इस बीच वह

ससुराल आती जाती थी। उसका पति उसे विदा कराकर ले जाएगा तब वह उनके साथ जाएगी और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। विपक्षी द्वारा भी अपने कथन के समर्थन में कहा गया है कि विवाह के बाद से ही विपक्षी अपनी पत्नी आवेदिका का भरण पोषण करता आ रहा है जबकि आवेदिका बिना किसी कारण के स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही है। विपक्षी की ओर से कोई दहेज का मांग नहीं किया गया है, शादी के बाद विपक्षी कई जगह पर आवेदिका के साथ रहा इस दौरान दोनों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ और उनका दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हुआ। आवेदिका ने जो महिला थाना कांड संख्या 27/2024 दायर किया है वह पूरी तरह से झूठा व निराधार है, इसके साथ ही आवेदिका ने जो उस पर आरोप लगाया है कि आवेदिका के साथ मारपीट कर उसका गर्भपात करा दिया गया, यह पूरी तरह से झूठा है। विपक्षी जून 2024 में आवेदिका को अपने साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल से संपर्क किया परन्तु आवेदिका उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। आवेदिका 11.02.2024 से अपने मायके में रह रही है जहां पर आवेदिका की बहन की शादी जो दिनांक 05.03.2024 को होने वाली थी उसमें व्यवस्थाओं में लगी हुई थी, इसलिए आवेदिका को उसके ससुराल से बेदखल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दो मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है जिसमें वह स्वयं विपक्षी साक्षी संख्या 2 के रूप में उपस्थित हुआ है और अपने कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य में किया है तथा अपने प्रति परीक्षण के क्रम में कहा है कि उसकी पत्नी ने उस पर 498ए का केस किया है और वह अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार है। वह अपनी पत्नी को बिदा कराकर अपने ड्युटी वाले स्थान पर ले जाएगा। विपक्षी साक्षी संख्या 2 ने भी विपक्षी के कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य में किया है।

इस तरह से उभय पक्षों के द्वारा किए गए कथनों एवं साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया मामला यह प्रतीत होता है कि विपक्षी और उसके परिवार के द्वारा आवेदिका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है जिसके संबंध में आवेदिका ने महिला थाना कांड संख्या 27/2024 दाखिल किया है जो अभी लंबित है। जबकि विपक्षी द्वारा आवेदिका के इन कथनों का खण्डन नहीं किया गया है बल्कि विपक्षी द्वारा सिर्फ इतना कहा गया है कि आवेदिका ने उस पर झूठा दहेज प्रताड़ना का केस किया है। दूसरी ओर आवेदिका द्वारा यह भी कहा गया है कि उसे उसके ससुराल घर से दिनांक 27.02.2024 को बाहर निकाल दिया तब से आवेदिका अपने मायके में रह रही है, जबकि विपक्षी द्वारा इस संबंध में कहा गया है कि आवेदिका दिनांक 11.02.2024 से अपने मायके में रह रही है जहां पर आवेदिका की बहन की शादी जो कि दिनांक 05.03.2024 को होने वाली थी उसमें व्यवस्थाओं में लगी हुई थी, इसलिए आवेदिका को उसके ससुराल से बेदखल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस तरह से दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर इस तरह का आरोप लगाया गया है जो

कि एक तरह का आरोप ही है, परन्तु इसे न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्ष के द्वारा साबित नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वह दोनों एक साथ पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच काफी वाद विवाद एवं मतभेद है और जिस कारणवश दोनों पक्ष वर्तमान समय में एक साथ नहीं रह रहे है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदिका अपने पिता के बहकावे में आकर उस पर केस की है, विपक्षी का यह कथन पूरी तरह से झूठा प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी पिता कभी नहीं चाहेगा की उसकी पुत्री का ससुराल में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न हो। आवेदिका एवं विपक्षी द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध कई तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है जिसमें दहेज मांगने एवं प्रताड़न जैसी घटना है इसके अतिरिक्त आवेदिका काफी समय तक विपक्षी के साथ रही भी है, उभय पक्षों के बीच कई तरह का विवाद भी है और विपक्षी द्वारा यह कहा भी गया है कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है परन्तु दोनों के बीच मतभेद होने के कारणवश आवेदिका विपक्षी के साथ नहीं रह रही है।

आवेदिका द्वारा अपने कथन में यह भी कहा गया है कि विपक्षी द्वारा उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्षी का विपक्षी द्वारा प्रति परीक्षण किया गया है परन्तु प्रति परीक्षण के क्रम में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं आया है जिससे यह प्रतीत हो कि आवेदिका को आय का श्रोत है जबकि विपक्षी और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का आवेदिका द्वारा प्रति परीक्षण किया गया है जिसमें प्रति परीक्षण के क्रम में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे आवेदिका के आय के संबंध में स्पष्ट जानकारी हो सके। प्रस्तुत वाद में विपक्षी द्वारा कहा गया है कि उस पर उसके माता पिता की जिम्मेवारी है और वह अपनी पुत्री के लिए भी राशि जमा करता है तथा उसका ज्यादातर राशि कट जाता है जिससे उसको लगभग 43,000/– रूपया प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वाद में प्रदर्श 2 के रूप में विपक्षी के माह 10/2024 का वेतन पर्ची की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी को लगभग 95,000/– रूपया प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदिका आई.सी.टी. लैब इन्स्ट्रैक्टर के पद पर दिनांक 10.01.2024 से कार्यरत है और उसे लगभग 30 से 35 हजार रूपया प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है, जबकि इसके संबंध में आवेदिका द्वारा कहा गया है कि वह मीडिल स्कूल चुआबाग में एन.जी.ओ. के माध्यम से गई थी परन्तु अभी वहां वह कोई काम नहीं करती है। इन कथनों से यह प्रतीत होता है कि आवेदिका को आय का श्रोत है और अगर एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि आवेदिका अभी वहां कोई काम नहीं करती है तो फिर आवेदिका ने अपने नौकरी छोड़ने या इस्तीफा देने के संबंध में कोई कागजात क्यों नहीं दाखिल किया। वाद में विपक्षी द्वारा आवेदिका के आय के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे आवेदिका के आय के संबंध में कोई

स्पष्ट जानकारी हो सके। शिक्षा विभाग, भारत सरकार के पत्रांक एनओ.एफ. 19–21/2022–आईएस–6 दिनांक 30.09.2022 के अनुसार आई.सी.टी. लैब इन्स्ट्रैक्टर को 15,000/– रूपया प्रतिमाह आय है, इस तरह यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आवेदिका को वर्तमान समय में लगभग 20,000/– रूपया प्रतिमाह आमदनी होगी। आवेदिका द्वारा आय एवं व्यय का ब्योरा शपथ पत्र से समर्थित दाखिल किया गया है जिसमें उसने विपक्षी के आय को वेतन से 80,000/– रूपया प्रतिमाह, किराया से 30,000/– रूपया प्रतिमाह बताया है, जबकि विपक्षी द्वारा आय एवं व्यय का ब्योरा शपथ पत्र से समर्थित दाखिल किया गया है जिसमें उसने अपनी आय 70,000/– रूपया और आवेदिका की आय 30,000/– रूपया प्रतिमाह बताया है। प्रस्तुत वाद में पूर्व में अंतरिम भरण पोषण का आदेश आवेदिका द्वारा दाखिल अंतरिम भरण पोषण का आवेदन पत्र के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला को देखते हुए विपक्षी को यह निर्देश दिया गया था कि वह आवेदिका को प्रतिमाह 20,000/– रुपया अंतरिम भरण पोषण की राशि अंतरिम भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनेश बनाम नेहा, 2020 में यह स्पष्ट किया गया है कि भरण पोषण की राशि वास्तविक आय एवं आवश्यकताओं के आधार पर ही निर्धारित की जानी चाहिए। अंतरिम भरण पोषण का आदेश केवल अस्थायी राहत हेतु होता है, और अंतिम निर्णय में न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर राशि को घटा या बढ़ा सकती है। वाद पत्र, साक्ष्यों, तथ्यों एवं आय व व्यय का ब्योरा, सभी तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विपक्षी की आय लगभग 90,000/– रूपया के आस पास प्रतिमाह होगी और आवेदिका की आय वर्तमान समय में लगभग 20,000/– रूपया प्रतिमाह होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी एआईआर 2017 एससी 2383, मामले में यह निर्धारित किया है कि पति का 25 प्रतिशत हिस्सा उचित और उपयुक्त होगा और इससे अधिक नहीं। किसी भी व्यक्ति का अपनी पत्नी व अपने नाबालिग बच्चों का भरण–पोषण का नैतिक व कानूनी दायित्व उसके उपर बनता है। आवेदिका विपक्षी की वैध विवाहिता पत्नी है, अतः आवेदिका के भरण–पोषण का दायित्व विपक्षी के उपर ही है। इस प्रकार आवेदिका का भरण–पोषण का आवेदन स्वीकृत किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका का भरण–पोषण का आवेदन पत्र ससंघर्ष स्वीकृत किया जाता है और आवेदिका को आय का श्रोत भी है। परन्तु आवेदिका को एक पुत्री भी है इसलिए विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदिका को 7,000/– रुपया प्रतिमाह भरण–पोषण के रूप में भुगतान करें। भरण–पोषण का यह आदेश वाद प्रस्तुत करने की तिथि 24.06.2024 से प्रभावी होगा। प्रस्तुत वाद में विपक्षी के द्वारा अंतरिम भरण पोषण की राशि का जो भुगतान किया गया है वह इस राशि में समायोजित हो जाएगा। कार्यालय लिपिक को यह निर्देश दिया जाता है कि विपक्षी के संबंधित

विभाग को उक्त भरण पोषण की राशि विपक्षी के वेतन से प्रतिमाह कटौति करते हुए आवेदिका के बैंक खाता में जमा करने हेतु पत्र निर्गत करें, इसके बाद भी यदि विपक्षी भरण–पोषण की राशि भुगतान करने में असफल रहता है अथवा कोई राशि भुगतान हेतु बकाया रहता है तो आवेदिका विधिक प्रक्रिया के अनुसार विपक्षी से भरण–पोषण की राशि वसूल कर सकती है।

लेखापित एवं संशुद्धीकृत

(अरविन्द कुमार शर्मा)
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
दिनांकः–14.05.2026

(अरविन्द कुमार शर्मा)
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
दिनांकः–14.05.2026

Date of Judgment/order	14-05-2026
Date of Reserving Judgment/order	14-05-2026
Uploading Date	25-05-2026
Uploaded by	Dhananjay Kumar (D.E.O.)